न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः— 8/18 (RCMS No. 2018/00035) मध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21

आर 2 आर सेवा बी—11 ए, बेसमेन्ट, जयपुर टॉवर, एम,आई, रोड, जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

ई मित्र सोसायटी करौली जरिये जिला कलक्टर सवाई माधोपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996

उपस्थितिः—

1. श्री संग्राम सिंह वकील प्रार्थी
2. श्री राजेश मित्तल वकील अप्रार्थी

नि र्ण य **दिनांक :—14.08.2018**

यह प्रार्थना पत्र मध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत पेश हुआ है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच दिनांक 02.02.2006 को एक इकरार सवाई माधोपुर में हुआ जिसके तहत प्रार्थी को सवाई माधोपुर में ई मित्र प्रोजेक्ट को संचालित करना था। प्रार्थी को अपनी सेवायें देनी थी एवं बदले में कमीशन लेना था। इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य एक इकरारनामा निष्पादित किया गया। इकरारनामे के शीर्षक संख्या 6 के तहत पक्षकारों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर अथवा संविदा भंग होने पर प्रकरण को मध्यस्तम के मार्फत निपटाया जाना तय हुआ था। एकल मध्यस्तम संभागीय आयुक्त भरतपुर का होना निश्चित किया गया। जिला ई—गवर्नेन्स सोसायटी सवाई माधोपुर ने पत्रांक 2302 दिनांक 22.08.2007 से आर 2 आर द्वारा एसओयू के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक सेवायें नही दिये जाने के कारण अनुबन्ध समाप्त कर फर्म की अमानत राशि एवं बैंक गारन्टी राशि कुल 7,20,000/—रूपये राज्य हित में जब्त करने का आदेश पारित किया। इस आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र माध्यस्तम एवं समझौता अधिनियम 1996 की धारा 21 के अन्तर्गत पेश किया है।

प्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी को अमानत राशि लौटाने का मौखिक आश्वासन दिया था कि डीओआईटी से निर्देश आते ही जब्त शुदा राशि लौटा दी जायेगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कॉज ऑफ एक्शन प्रार्थी का अमानत राशि के मना करते ही उत्पन हो गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की नजीरों को आधार मानते हुऐ माना कि अगर बिल राशि बकाया है तो वाद मियाद भीतर ही माना जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्याय सिद्धान्त भी समय समय पर प्रतिपादित किया गया है कि न्यायहित में मिस्कैज ऑफ जस्टिस की अवस्था में आर्वीटर को मियाद पर लिबरल दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। प्रार्थी ने अपना काम सुचारू रूप से किया है। अप्रार्थी ने एमओयू के अनुसार प्रार्थी का सपोर्ट नही किया गया। असंतोष की असल वजह बिलों का भुगतान नही करना था। उन्होंने लिखित बहस में अंकित किया है कि एमओयू ईनमेक्चूअर हो गया था। क्योंकि 31 मार्च 2007 तक ही एमओयू था उसके बाद बिना विधिक सहमति के एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता था। जब एमओयू infectious हो चुका है जिसमें दोनों ही पक्षों ने आपसी सहमति से एमओयू आगे नही बढ़ाया तो उक्त infectious एमओयू पे जप्ती का आदेश दिनांक 22.08.07 अवैधानिक हो जाता है। Existing Clause 7.2 में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी पार्टी लोसिस (नुकसान) के लिये जिम्मेदार नही होगी। इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी को कार्य बन्द करने या एमओयू को समाप्त करने का एक माह का कोई नोटिस नही दिया था। उनका कथन है कि प्रार्थी के द्वारा जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि तय सीमा पैरा नम्बर 4.1.20 व डीओआईटी द्वारा दिनांक 06.12. 2006 को पुनः उक्त आशय का पत्र जारी किया गया था। अप्रार्थी द्वारा एवरेज से अधिक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ली गई। अप्रार्थी ने जप्त सिक्योरिटी में कोई नुकसान नही दर्शाया है और न ही किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा जांच कराई गई है। सीधे तौर पर नुकसान दर्शया गया है। अतः बिना किसी आधार व बिना नुकसान के अमानत राशि जप्त किया जाना अवैधानिक है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ने अपना पक्ष मय दस्तावेज साबित किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्त अमानत राशि मय ब्याज दिलाये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी आर 2 आर सेवा को भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली में कियोस्क खोलकर बिना व्यवधान के कनैक्टविटी उपलब्ध करानी थी तथा विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा जमा बिल की राशि 24 घण्टे के अन्दर ई–मित्र के खाते में या संबंधित विभाग में जमा कराना अनिवार्य था परन्तु प्रार्थी ने न तो विधि अनुकूल कियोस्क खोलकर उक्त सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया और न ही जमा शुदा राशियों को निर्धारित समय अवधि में ई–मित्र/संबंधित विभाग में जमा कराया। प्रार्थी की प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों के पश्चात प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा बारम्बार मौखिक एवं लिखित आग्रह कर सेवाओं में सुधार का अवसर दिया गया परन्तु कोई सुधार नही किया गया। शिकायत कर्ताओं द्वारा बार बार शिकायतें करने पर अप्रार्थी ने अनुबंध को समाप्त कर प्रार्थी की जमा शुदा अमानत राशि व बैंक गारन्टी को राजहित में जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य निष्पादित अनुबंध की अवधि वक्त 2007 में समाप्त हो चुकी थी तथा मियाद अधिनियम 1963 के आर्टीकल 22 में किसी भी विवाद को प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित है। प्रार्थी ने उक्त विवाद दिनांक 24.02.2012 को श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि लगभग 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है इसलिये प्रार्थी का उक्त विवाद मियाद बाहर होने के कारण चलने योग्य नही है। उन्होंने लिखित बहस में अंकित किया है कि अप्रार्थी ने अनुबंध की शर्त सं0 4.4.1.9 एवं 4.1.4 की पालना में अमानत राशि व बैंक गारन्टी को जब्त किया गया है। अप्रार्थी की उक्त समस्त कार्यवाही विधि अनुकूल व अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के तहत की गयी है। इसलिये प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में कोई भी राहत प्राप्त करने का अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही है। अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विस्तृत जबाब मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जिससे प्रमाणित है कि प्रार्थी का प्रकरण मियाद बाहर होने एवं प्रार्थी द्वारा लापरवाही पूर्ण कृत्य होने व कियोस्क धारकों द्वारा बारम्बार शिकायत किये जाने के बाबजूद भी प्रार्थी द्वारा कोई सुधार नही किये जाने के कारण प्रार्थी की जमाशुदा अमानत एवं धरोहर राशि को जब्त किया गया है, जो उचित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच दिनांक 02.02.2006 को एक इकरार सवाई माधोपुर में हुआ जिसके तहत प्रार्थी को सवाई माधोपुर में ई मित्र प्रोजेक्ट को संचालित करना था। प्रार्थी को अपनी सेवाये देनी थी एवं बदले में कमीशन लेना था। इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य एक इकरारनामा निष्पादित किया गया। इकरारनामे के शीर्षक संख्या 6 के तहत पक्षकारों को किसी भी तरह का नुकसान होने पर अथवा संविदा भंग होने पर प्रकरण को मध्यस्तम के मार्फत निपटाया जाना तय हुआ था। एकल मध्यस्तम संभागीय आयुक्त भरतपुर का होना निश्चित किया गया। जिला ई–गवर्नेन्स सोसायटी सवाई माधोपुर ने पत्रांक 2302 दिनांक 22.08.2007 से आर 2 आर द्वारा एसओयू के प्रावधानों के अनुसार संतोषजनक सेवायें नही दिये जाने के कारण अनुबन्ध समाप्त कर फर्म की अमानत राशि एवं बैंक गारन्टी राशि कुल 7,20,000/–रूपये राज्य हित में जब्त करने का आदेश पारित किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी को सवाई माधोपुर में कियोस्क खोलकर कनैक्टविटी उपलब्ध करानी थी तथा उपभोक्ताओं द्वारा जमा बिल की राशि 24 घण्टे के अन्दर ई–मित्र के खाते में या संबंधित विभाग में जमा करानी थी। परन्तु प्रार्थी ने न तो विधि अनुकूल कियोस्क खोलकर उक्त सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया और न ही जमा शुदा राशियों को निर्धारित समय अवधि में ई–मित्र या संबंधित विभाग में जमा कराया। प्रार्थी को बार बार मौखिक एवं कई बार लिखित पत्र देकर सेवाओं में सुधार करने का अवसर दिया गया था जिसके लिये ई मित्र सोसायटी द्वारा कई बार पत्र भी लिखे हैं। प्रार्थी को जिला ई गवर्नेन्स सोसायटी सवाई माधोपुर ने पत्र लिखकर कार्य करने व नवीन सेवाओं का विस्तार करने हेतु तथा सेवाओं में कोई सुधार करने हेतु पत्र लिखने के उपरान्त भी प्रार्थी ने सेवाओं में कोई सुधार नही किया। जिससे अप्रार्थी ने अनुबंध की शर्त सं0 4.4.1.9 की पालना में अमानत राशि व बैंक गारन्टी को जब्त किया गया है, जो उचित है। अप्रार्थी की उक्त समस्त कार्यवाही विधि अनुकूल व अनुबंध में वर्णित प्रावधानों के तहत की गयी है। जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मध्यस्तम समझौता अधिनियम 1996 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official